/138/2023

संख्या : / जी0एस0 / शिक्षा / A3-75/2019

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड — देहरादून दिनांक31 मार्च, 2023

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्याः 1020 दिनांक 31 जनवरी, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा राजकीय महाविद्यालय, सितारगंज, (ऊधमसिंहनगर) को बी0–एससी0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2022–23 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल क आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर	बी0–एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित)	80 सीट (प्रति विषय)	सत्र 2022–23

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2– महाविद्यालय में भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला मानकानुसार पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। जिन मानकों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन / उच्च शिक्षा विभाग से कार्रवाई अपेक्षित हो, इस सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा समय–समय पर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित पत्रों के क्रम में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

3– अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम / नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman
Date: 31-03-2023 18:19:34

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।

/138/2023

संख्या : 138 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-75/2019 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. - सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. - निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. - प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सितारगंज, (ऊधमसिंहनगर)।
4. - कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।